Fax No. 0135822372

क्रं.1

संख्याः 2054पीडब्लूडी/अभि0-2001-190पीडब्लूडी-2001

प्रेषक,

एन०एस०नपलच्याल,
सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(स्तर-1),
उत्तरांचल देहरादून।

लोक निर्माण विभाग

देहरादून : दिनांक 11जुलाई, 2001

विषयः- उत्तरांचल राज्य में लोक निर्माण विभाग के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त राज्य के विशेष भौगोलिक स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए इस नवगठित राज्य के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो गयी है।लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में ---- सड़क निर्माण, सेतु निर्माण, सम्पर्क मार्गों का निर्माण उनका रख-रखाव एवं आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण का कार्य मुख्य रूप से सम्पादित किया जाता है।प्रदेश के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम स्थानों को सड़कों, सम्पर्क मार्गों एवं सेतुओं से जोड़ कर प्रदेश के आर्थिक विकास की गति को संवेग प्रदान करने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग के वर्तमान संरचनात्मक ढ़ांचे का पुनर्गठन आवश्यक हो गया है।अतः विभाग के निम्नानुसार पुनर्गठन हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 को उसी वेतनक्रम में विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है।विभागाध्यक्ष का मुख्यालय फिलहाल देहरादून में रहेगा।

2- मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाता है, जिसका मुख्यालय अल्मोड़ा होगा। पौड़ी में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का पद पहले से ही सृजित है। अतः अल्मोड़ा एवं पौड़ी में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 का क्षेत्रीय कार्यालय पूर्ववत बने रहेंगे।

(क्रमशः 2)

3. मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 के साथ स्टाफ आफिसर के रूप में अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी को तैनात किया जायेगा ।

4. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के 12 पद एवं अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक) के 02 पद पूर्व से सृजित है। अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल) के 12 में से 02 पद अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) स्तर के अधिकारी, वरिष्ठ स्टाफ आफिसर के रूप में वि. भागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात रहेंगें

5. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पूर्व में स्वीकृत 60 पदों के सापेक्ष 58 पद रखे जाने का निर्णय लिया गया है । उक्त 58 पदों में से 50 पद 50 सिविल खण्डों (राजधानी में बढ़े हुये भवनों के कार्यों के लिये एक अतिरिक्त खण्ड सहित), 2 अधिशासी अभियन्ता जोनल मुख्यालयों पर मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 के स्टाफ आफिसर के रूप में तथा 06 अधिशासी अभियन्ता विभागाध्यक्ष के कार्यालय में तैनात रहेंगें । अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत/यान्त्रिक) के कुल 5 पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से चार अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत/यान्त्रिक), विद्युत/यान्त्रिक खण्डों में तैनात रहेंगें तथा एक अधिशासी अभियन्ता, (विद्युत/यान्त्रिक) विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात किया जायेगा ।

6. राजधानी में बढ़े हुये निर्माण कार्य के लिये एक अतिरिक्त सिविल खण्ड सृजित किया जा रहा है जिसके लिये अधिशासी अभियन्ता (सिविल) का पद उक्त 58 पदों में सम्मिलित है ।

7. राष्ट्रीय मार्ग खण्डों एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं प्रभावी नियन्त्रण हेतु एक राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त के रूप में देहरादून में स्थापित किया जाता है । जयहरीखाल में कार्यरत तीन खण्डों के पर्यवेक्षण का कार्य अधीक्षण अभियन्ता, 36 वें वृत, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा किया जायेगा । देहरादून में स्थापित यह राष्ट्रीय मार्ग वृत्त क्रमशः रूड़की, काशीपुर एवं उत्तरकाशी राष्ट्रीय मार्ग खण्डों का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण करेगा तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के [illegible] एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा । विभाग में पूर्व से कार्यरत शेष सिविल के नौ तथा वि0/यां0 के दो वृत्त तथा सिविल के 49 एवं वि0/यां0 के चार खण्ड यथावत् कार्य करते रहेंगें ।

क्रमशः....3..पर

8. राष्ट्रीय राज मार्ग खण्डों एवं मोटर सिविल खण्डों के लिये प्रति चार
सिविल खण्डों के लिये प्रति खण्ड चार के
स्थान पर तीन सहायक अभियन्ता का मानक निर्धारित किया जाता है।

9. राष्ट्रीय राज मार्ग एवं मोटर सिविल खण्डों में 16 अवर अभियन्ता प्रति खण्ड
का मानक एवं शेष खण्डों में 14 से 16 अवर अभियन्ता प्रति खण्ड के मानक
के स्थान पर 12 अवर अभियन्ता प्रति खण्ड का मानक निर्धारित किया
जाता है। विद्युत/यान्त्रिक खण्ड हेतु प्रति खण्ड 12 अवर अभियन्ता तथा
प्रति सिविल खण्ड में एक विद्युत/यान्त्रिक अवर अभियन्ता का मानक निर्धा-
रित किया जाता है।

10. विभाग में वित्तीय अनुशासन एवं नियन्त्रण स्थापित करने के दृष्टिकोण से
विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून में वित्त नियन्त्रक का एक पद सृजित किया
जाता है। यह पद वित्त एवं लेखा संवर्ग से भरा जायेगा। इसके अतिरिक्त
सहायक अभियन्ता, वि0/यां0 के 12, अवर अभियन्ता, वि0/यां0 के तीन, अवर अभियन्ता, वि0/यां0 के 12,
अवर अभियन्ता (प्राविधिक) के पांच, मानचित्रकार के 15, रेखाकार के दो,
कार्यालय अधीक्षक के 09, मुख्य लिपिक का एक, वैयक्तिक सहायक/आशुलिपिक
के 12, सहायक लेखाधिकारी का एक, लेखाकार के दो, सहायक लेखाकार
के 05, सहायक वास्तुविद् के दो, भू-वैज्ञानिक का एक, अमीन के 69,
दफ्तरी के 05, जीप/कार चालक के 17, खण्डीय लेखाकार के एक पद का भी
सृजन किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत् उल्लिखित है।

11. सहायक शोध अधिकारी, भण्डार अभिरक्षक, वाटर मैन, नील मुद्रक, नायब-
तहसील दार, सुपर वाइजर कानूनगो के संवर्ग मृत घोषित किये जाते हैं

क्र.सं.	पद नाम	वेतनमान	पुनर्गठन के पश्चात स्वीकृत पदों की संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5
1.	मुख्य अभियन्ता, स्तर-1	18400-22400	01	विभागाध्यक्ष
2.	वित्त नियन्त्रक	वित्त/लेखा संवर्ग	01	मुख्यालय पर
3.	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2	16400-20000	02	अल्मोड़ा/पौड़ी
4.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	12000-16500	12	1. वृत्त मुख्यालय-10 2. विभागाध्यक्ष मुख्यालय पर दो पद

क्रमशः पृष्ठ 4..पर..

1	2	3	4	5
5.	अधीक्षण अभियन्ता, (वि0/यां0)	12000-16500	02	वि0/यां0 वृत्तों के हेतु
6.	अधिशासी अभियन्ता, (सिविल)	10000-15200	58	1. सिविल खण्ड मुख्यालय हेतु-47 2. एन0एच0खण्ड-3 3. जोनल मुख्यालय-02 4. विभागाध्यक्ष (मुख्य अभियन्ता, स्तर-1) मुख्यालय-06 पद
7.	अधिशासी अभियन्ता, (वि0/यां0)	10000-15200	05	1. वि0/यां0 खण्ड मुख्यालय-04 2. विभागाध्यक्ष (मुख्य अभियन्ता, स्तर-1) मुख्यालय पर एक
8.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	8000-13500	193	1. एन0एच0 व नोडल सिविल खण्ड-4 प्रति खण्ड 16×4=64पद 2. अन्य सिविल खण्ड-3 प्रति खण्ड 34×3= 102पद 3. सिविल वृत्त में एक सहायक अभियन्ता प्रति वृत्त 10×1=10 4. जोनल मुख्यालय प्रति जोन-2पद 2×2=4 5. विभागाध्यक्ष, (मुख्य अभियन्ता, स्तर-1) मुख्यालय पर 13पद
9.	सहायक अभियन्ता, (वि0/यां0)	8000-13500	19	1. वि0/यां0खण्डो में 4 चार सहायक अभियन्ता प्रति खण्ड 4×4=16 पद 2. विभागाध्यक्ष (मुख्य अभियन्ता स्तर-1 मुख्यालय पर-03
10.	अवर अभियन्ता, (सिविल)	4500-7000	664	1 एन0एच0 तथा नोडल सिविल खण्ड-16 प्रति खण्ड 16×16= 256पद 2. अन्य सिविल खण्ड 12 प्रति खण्ड 34×12= 408पद

क्रमशः...